कार्यालय-प्राचार्य
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था राजनांदगांव
जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

Skill India

Industrial Training Institute

☎ 07744-291837 itirjnd@rediffmail.com

क्रमांक-औप्रसं/राज /स्थाप./ मे0प्र0/2019/ 2334 /राजनांदगांव, दिनांकः 28/09/2019

//विज्ञप्ति//

संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़, अटल नगर नवा रायपुर द्वारा मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने हेतु जारी विभिन्न आदेशों व निर्देशों तथा संयुक्त संचालक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाऐं क्षेत्रिय कार्यालय दुर्ग क्षेत्र दुर्ग के आदेश के अनुसरण में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था राजनांदगांव के नोडल क्षेत्र के अंतर्गत जिला-राजनांदगांव में संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में स्वीकृत प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पदों के विरूद्ध विभिन्न व्यवसायों/विषयों के लिए प्रशिक्षण सत्र 2019-20 हेतु मेहमान प्रवक्ता (गेस्ट लेक्चरर) हेतु निर्धारित प्रारूप मे आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 14.10.2019 को अपरान्ह 05.00 बजे तक पंजीकृत डाक से अथवा स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। पदों की जानकारी शैक्षणिक/तकनीकी योग्यताएं एवं निर्धारित मापदंड एवं स्थान निम्नानुसार हैं -

1. पदों की जानकारी :-

सरल क्र.	व्यवसाय का नाम	औप्रसं टेडेसरा	औप्रसं लालबहादुर नगर	औप्रसं छुरिया	औप्रसं छुईखदान	औप्रसं अंबागढ़ चौकी
01	फिटर	01	01	01	01	00
02	विद्युतकार	01	01	01	01	00
03	इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स	01	00	01	00	01
04	वर्कशाप केल्कुलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग	01	00	01	00	00
05	वेल्डर	00	00	00	00	01
06	मैकेनिक डीजल	00	00	00	00	01

2. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्र.	व्यवसाय का नाम	शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताएं
01	फिटर	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। (2) अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/प्रोडक्शन एवं मेनूफेक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण।

02	विद्युतकार	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। (2) अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता **प्रशिक्षण** परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता **प्रशिक्षण** परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण।
03	इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स	(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रबंधन (बीबीए) में स्नातक उपाधि।
04	वर्कशाप केल्कुलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। (2) अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण।
05	मैकेनिक डीजल	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। (2) अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिशद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/ ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण। (3) हल्के मोटरयान (एल एम व्ही) का वैध लाइसेंस अनिवार्य है।
06	वेल्डर	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2) अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/प्रोडक्शन एवं मेनूफेक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण।

3. अंकों का निर्धारण एवं चयन प्रक्रिया :-

1. जिन पदों के लिये सी.टी.आई/ए.टी.आई. आवश्यक है, उन पदों के लिये एक वर्षीय सी.टी.आई/ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता (परीक्षा) की अंकसूची के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
2. सी.टी.आई/ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी।
3. जिन व्यवसायों के लिए हल्के मोटर यान (एल0एम0व्ही0) का वैध लाइसेंस अनिवार्य है उन व्यवसायों के लिए उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

4. नियम एवं शर्तें :-

1. आवेदन **निर्धारित प्रारूप** में ही जमा करें जो कि कार्यालय प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, राजनांदगांव, (पेण्ड्री) जिला- राजनांदगांव (छ.ग.) से प्राप्त किया जा सकता है।
2. आवेदन करने से पूर्व नियम एवं निर्देशों का भली-भांति अवलोकन कर आवेदन प्रस्तुत करें। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जाएंगे तथा इस संबंध में आवेदक को सूचना नहीं दी जाएगी।
3. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसमें आरक्षण संबंधी कोई नियम लागू नही होंगे एवं अवकाश की कोई पात्रता नही होगी। शासकीय सेवा हेतु किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नही होगा।
4. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिये सीटीआई/एटीआई आवश्यक है, उन पदों के लिये एक वर्षीय सीटीआई/एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण-पत्रधारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जायेगा। सी.टी.आई/ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जाएगी।
4. मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
5. पदों की संख्या घटाई-बढ़ाई अथवा समाप्त की जा सकती है।
6. वांछित प्रमाण-पत्रों एवं अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों सहित आवेदन निर्धारित प्रारूप में पंजीकृत डाक द्वारा अथवा कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर संस्था मे जमा किया जा सकता है । नियत तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नही किया जावेगा।
7. आवेदन केवल कार्यालय प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, राजनांदगांव (पेण्ड्री), जिला- राजनांदगांव (छ.ग.) पिन कोड - 491441 को ही किया जाना है।
8. अलग-अलग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं व्यवसायों/विषयों के लिये अलग-अलग आवेदन जमा करना होगा। लिफाफे के उपर व्यवसाय/विषय एवं संस्था का नाम (जिस संस्था हेतु आवेदन किया जा रहा है) लिखना अनिवार्य है।
9. सी.टी.आई/ए.टी.आई. एवं अर्हकारी तकनीकी योग्यता होना आवश्यक है।
10. चयन तकनीकी योग्यता की मेरिट के आधार पर होगा। चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर चस्पा की जायेगी।

11. मेरिट चयन सूची अनुमोदन पश्चात ही दूरभाष सूचना के आधार पर आमंत्रण स्वीकारते हुए प्रशिक्षण कार्य कराना होगा। किसी भी प्रकार का नियुक्ति पत्र नहीं दिया जावेगा।
12. आवेदन पत्र में आवेदक अपना मोबाईल नं. सही एवं स्पष्ट भरें। दिये गए मोबाईल नं. पर संपर्क न हो पाने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
13. मेहमान प्रवक्ताओं द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण संतोषप्रद नहीं होने या आचरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में सुनवाई का अवसर देते हुए प्रशिक्षण जारी रखने अथवा पृथक करने संबंधी निर्णय प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा।
14. आमंत्रित उम्मीदवारों के पद के विरूद्ध यदि शासन द्वारा नियमित/स्थानांतरित/संविदा नियुक्ति की जाती है, तो मेहमान प्रवक्ता की सेवाएं स्वयमेव समाप्त हो जाएंगी।
15. संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण छ.ग. अटल नगर नवा रायपुर के निर्देशानुसार पढ़ाने/प्रशिक्षण देने हेतु प्रति घंटा 100/- रूपये की दर से, प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घंटे के मानदेय का प्रावधान है। प्रतिमाह अधिकतम रू.10000/- (दस हजार रूपये मात्र) मानदेय देय होगा। जो कि समय-समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान नही किया जावेगा।
16. मेहमान प्रवक्ताओं हेतु शासन द्वारा निर्धारित मद में बजट उपलब्ध होने पर ही मानेदय भुगतान किया जाएगा।
17. यदि किसी आवेदक का चयन किसी एक से अधिक संस्था/व्यवसायों/विषयों के लिये हो जाता है, तो उसको किसी एक संस्था/व्यवसायों/विषय के लिये कर्तव्य पर उपस्थित होने के बाद अन्य संस्था/व्यवसायों/विषयों पर चयन स्वयमेव निरस्त समझा जावेगा।
18. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण), क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग क्षेत्र, दुर्ग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

(एस0के0साहू)
प्राचार्य
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
राजनांदगांव (छ.ग.)

मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र

स्वहस्ताक्षरित फोटो

प्रति,

प्राचार्य,
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पेंड्री राजनांादगांव
जिला-राजनांदगांव (छ.ग.),
पिन कोड - 491441.

महोदय जी,

मेहमान प्रवक्ता हेतु निम्नांकित विवरण के साथ आवेदन प्रस्तुत है।

संस्था का नामः- :..
(जहां के लिये आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं)
व्यवसाय/विषय का नामः- : ....
(जिसके लिये आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं)

1. आवेदक का नामः- :..
2. पिता/पति का नामः- :..
3. माता का नामः- :..
4. जन्मतिथि (अंकों में) :..
   (शब्दों में) :..
5. रोजगार कार्यालय का जिवित पंजीयन क्रमांक :..
6. जाति/वर्ग :..
7. पत्र व्यवहार का पूरा पता :..
   ....
   ....
8. दूरभाष/मोबाईल नं. :..
9. स्थाई निवास का पूरा पता :..
   ....
10. सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण : (हॉ/नहीं) ....
11. हल्के मोटरयान (एल.एम व्ही.) का वैध लाइसेंस (यदि लागू हो): (हॉ/नहीं) ....

क्रमशः....2...

12. शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता का विवरण :

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/विवि का नाम	व्यवसाय/ विषय	श्रेणी	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत

टीप :-

1. प्रत्येक संस्था/व्यवसाय/विषय के लिये पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावे।
2. छ.ग. का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में संलग्न करें।
3. संलग्न प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
4. उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही है एवं मैं सहमत हूँ कि -

//शपथ पत्र//

1. मैं संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा निर्धारित किया गया एवं समय-समय पर संशोधित/लागू मानदेय प्राप्त करूंगा/करूंगी।
2. मेरे द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत की गई जानकारी एवं प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्र सही है। यदि जानकारी अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं तो इसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।
3. मैं कभी नियमित पद हेतु दावा नहीं करूंगा/करूंगी तथा यह चयन इस सत्र के लिये या आवश्यकता रहने तक या नियमित/स्थानांतरित/संविदा कर्मचारी की पदस्थापना होने तक रहेगी। उसके लिये मैं सहमत हूँ।
4. मैं संस्था में प्राचार्य/अधीक्षक/संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार कार्य करूंगा/करूंगी।
5. मैं एक से अधिक संस्था/व्यवसाय/विषय में चयनित होने की स्थिति में एक ही संस्था/व्यवसाय/विषय में प्रशिक्षण कार्य हेतु उपस्थित हो जाउंगा/जाउंगी। दूसरे संस्था/व्यवसाय/विषय के लिये चयन स्वयमेव निरस्त समझा जावेगा।
6. मै शासन एवं संस्था के समस्त आदेशों/निर्देशों तथा नियमों का पालन करूंगा/करूंगी।

संलग्न :-

1. ....2..
2. ....3..
4. ....5..
6. ....7..

दिनांक............................ आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान.............................

नाम : ....

पता : ....